

**कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर**

क्रमांक :- 504

दिनांक :- 29/01/25

**कार्यालय-आदेश**

मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माह फरवरी, 2025 में निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निम्न अंकित तिथि में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्यु कालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य हेतु अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए एम से दोपहर 02.00 पी एम (मोर्निंग समय में-10ए.एम से 12ए.एम.) तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ -

**माह फरवरी 2025**

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	02-02-2025	Mr. Tushar Sharma	Spl. J.M. (N.I. Act Cases) No. 1, Alwar	7275856134
2.	08-02-2025	Ms. Srishti Jain	Acj & Jm No. 1, Alwar	9911417987
3.	09-02-2025	Ms. Raghavi Govil	Cj & Jm, Kathumar	9582369073
4.	16-02-2025	Ms. Ritika Agarwal	Acj & Jm No. 3, Alwar	7388697342
5.	22-02-2025	Ms. Tamna Kousik	Cj & Jm, Kotkasim	8755834111
6.	23-02-2025	Mr. Shantanu Singh Khangarot	CJ & JM Rajgargh	9429126623
7.	26-02-2025	Sh. Rajiv Jindal	Cj & Jm, Kheli Mandi	9414711451

**नोट- 1-**उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व/पश्चात् दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

2-उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3-अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

4-नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को नियत अवधि से कम से कम 04 दिन पूर्व सूचित करेंगे तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

5-अवकाश के दिन यदि सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित उक्त कार्य करेंगे।

sd-


क्रमांक :- 505-16

दिनांक :- 29/01/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अलवर (राज.)  
अलवर (राज.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर/भिवाडी/खैरथल-तिजारा/बहरोड-कोटपूतली
3. सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी .....
4. पुलिस कन्ट्रोल रूम, अलवर/ए डी पी ऑफिस, अलवर
5. कार्यालय प्रति/एस.ओ. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (समस्त थानाधिकारी/ पीठासीन अधिकारी को जरिये ई मेल सूचित करें)
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलवर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अलवर (राज.)  
मुख्य अलवर मजिस्ट्रेट  
अलवर (राज.)